(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

मुकदमा नं0 23/2019

मुन्शी पुत्र चांद मल जाति मेव निवासी ग्राम जीराहेडा तहसील पहाडी

सायल

बनाम

1. उम्मर पुत्र मौहर खां
2. फत्ती
3. हाकम पिसरान रमजा
4. साहून
5. फारूख पिसरान मौहर खां
6. इमरान
7. इरफान
8. रहीस पिसरा शेरा जाति मेव निवासी ग्राम जीराहेडा तहसील पहाडी

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील सायल
श्री बृजलाल शर्मा वकील गैरसायलान सं0 1 लगा0 5

दिनांक :– 14.11.2019

निर्णय

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत इस आशय के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 894/627/0.06 है0 बांके ग्राम जीराहेडा तहसील पहाडी में स्थित हैं आराजी मुत0 सायल के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी से गैसायलान का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। सायल सीधा साधा व अनपढ व्यक्ति है जिसका नाजायज फायदा उठाकर गैरसायलान लठ्ठ व ताकत के बल पर सायल की आराजी में कुछ हिस्से पर पक्का निर्माण कर लिया है और बाकी शेष हिस्से पर पक्का निर्माण करने की फिराक में है। इस प्रकार गैसायलान सायल की सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा नाजायज कर बेदखल करना चाहते है जिससे सायल की हितो पर कुठाराघात हो रहा है सायल की उक्त आराजी में गैरसायलान ने पक्का निर्माण कर लिया है जब सायल ने गैरसायलान से कब्जा छोडने को कहा तो गैरसायलान टालमटोल करते रहे लेकिन दिनांक 07.03.2019 को गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। गैरसायलान का सायल की आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है यदि गैरसायलान अपनी धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो सायल को अपरमित क्षति होगी विदी वजह सायल गैरसायलान को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर) राज0

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी है । अतः गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायल की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायलान 1 लगायत 5 मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये गैरसायलान 6 लगायत 8 को सायल द्वारा पूर्व में तर्क कर दिया । गैरसायलान संख्या 1 लगायत 5 ने जबाब पेश किया कि आराजी मुत0 में कोई फसल पैदा नहीं होती है। बल्कि आराजी आबादी के बीचों बीच में स्थित है। रिहायश के उपयोग व उपभोग में आ रही थी। मुन्शी प्रार्थी के दादा मोहर सिंह ने आज से लगभग 70–80 साल पूर्व एक मुश्त राशि 300/–रूपया में उदयभान,रमजान,भप्पू को आवासीय उपयोग व उपभोग को बता दिया था। उस वक्त उदयभान , रमजान, व भप्पू ने कच्चा मकान बना लिये थे। भप्पू ने अपना रिहायशी मकान अप्रार्थीगण संख्या 6,7,8 को बेच दिया जिसमें अप्रार्थी संख्या 6,7,8 मकान निर्माण कर रिहायश करते चले आ रहे है और उदयभान के गूजर जाने के बाद उसके लडको अप्रार्थीगण संख्या 1,4,5 ने तीन पक्के कोठे उस पर चोबारे व एक बैठक पक्की बनाकर रिहायश कर रहे है। एवं रमजान के गूजर जाने के बाद उसके लडके अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने पांच पक्के कमरे लैट्रिन बाथरूम बना रखे है। जिसमें बिजली व पानी के लिये समरशल लगा रखी है। बिजली का बिल हम अप्रार्थीगण के नाम है जिसका भुगतान हम करते चले आ रहे है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध न्यायालय को गुमराह करते हुये पेश किया है। जबकि सम्पूर्ण आराजी मुत0 की बाबत वाद पत्र पेश करने का कानूनी अधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र काबिले खारिज के है। आराजी मुत0 का आवासीय उपयोग व उपभोग में आ जाने के कारण न्यायालय श्रीमान का मुकदमा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी सायल के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी पर सायल का कब्जा व काश्त है गैरसायलान सायल की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी में पक्का निर्माण करना चाहते है और सायल को उसकी आराजी से बेदखल कर कब्जा नाजायज करना चाहते है। गैरसायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायल की कब्जे काश्त व खातेदार की आराजी में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वकील गैरसायलान ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी मुत0 आबादी के बीच में होने के कारण आराजी पर फसल पैदा नहीं होती है बल्कि आराजी रिहायश के काम आ रही है। सायल के दादा मौहर सिंह ने आज से करीब 70–80 साल पूर्व एकमुश्त राशि 300/–रूपये लेकर गैरसायलान के पूर्वजों को बता दी थी जिस पर गैरसायलान के पक्के मकान बने हुये है। आराजी मुत0 आवासीय उपयोग में

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर) राज0

Scanned with OKEN Scanner

(14)

होने के कारण न्यायालय श्रीमान को मुकदमा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी सायल की खातेदार की आराजी है । विवादित आराजी पर गैरसायलान के रिहायश के काम आ रही है और आराजी पर गैरसायलान के पक्के मकान बने हुये है। ऐसी स्थिति प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट खारिज किया जाता है । साथ ही दोनों पक्षों को ताफैसला मुकदमा पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नं0 894/627/0.06 है0 बांके ग्राम जीराहेडा तहसील पहाडी पर नया निर्माण नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner